संचिका संख्या–3/निदे0(छात्रावास)विविध–66–12/18– 1113
10.05.18

बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

संकल्प

10 मई, 2018

विषयः– राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्त्ति के संबंध में।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित होकर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को कॉट, मैट्रेस, पठन–पाठन हेतु टेबल–कुर्सी एवं खाना बनाने हेतु बर्त्तन इत्यादि की सुविधा दी जा रही है।

2– वर्तमान परिप्रेक्ष्य में छात्र/छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने एवं उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने एवं छात्रावास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए देय सुविधाओं में बढ़ोतरी समीचीन है।

3– अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह 15 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न (9 किलोग्राम चावल तथा 6 किलोग्राम गेहूँ) की आपूर्ति की स्वीकृति दी जाती है।

4– भारत सरकार के द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में संबंधित छात्रावासों तक खाद्यान्नों की डोर स्टेप डिलीवरी योजना–2016 के तहत की जाएगी।

(परिशिष्ट–1 एवं 2)

5– इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत दिशा–निदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के स्तर से निर्गत किए जाएँगें।

6– इस योजना के लिए राज्य स्कीम मद के निम्नांकित शीर्ष के अंतर्गत प्रावधानित राशि से व्यय किया जाएगा :–

(क) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

(i) मांग सं0–44 राज्य स्कीम मद से अनुसूचित जाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण और अल्पसंख्यकों का कल्याण –उप मुख्यशीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0101–शिक्षा–विषय शीर्ष–0101.21.01–सामग्री एवं पूर्तियां–विपत्र कोड संख्या–44–2225012770101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

(ii) अनुसूचित जनजाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण और अल्पसंख्यकों का कल्याण –उप मुख्यशीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0101–शिक्षा–विषय शीर्ष–0101. 2101–सामग्री एवं पूर्तियां–विपत्र कोड संख्या–44–2225022770101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

(ख) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

आय–व्यय मुख्य शीर्ष "4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–लधु शीर्ष–277–शिक्षा, उपशीर्ष–0101–आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोधार –विषय शीर्ष–0101.21.01–सामग्री एवं पूर्तियां, मांग सं0–11– विपत्र कोड संख्या–11–4225032770101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

(ग) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

आय–व्यय मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–04– अल्पसंख्यकों का कल्याण–लधु शीर्ष–102–आर्थिक विकास–उपशीर्ष–0101– अल्पसंख्यक कल्याण अन्तरपूर्ति योजना,–विषय शीर्ष

–0101.21.01–सामग्री और आपूर्ति, मांग सं0–30– विपत्र कोड संख्या–30–2225241020101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित जिला पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

10.5.18

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 3/निदे0(छात्रावास)विविध–66–12/18– 1143 पटना, दिनांक–10.05.2018

प्रतिलिपि– हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इसे राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 1500 अतिरिक्त प्रतियां भेजने हेतु अग्रसारित।

10.5.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 3/निदे0(छात्रावास)विविध–66–12/18– 1143 पटना, दिनांक–10.05.2018

प्रतिलिपि– हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10.5.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 3/निदे0(छात्रावास)विविध–66–12/18–1143 पटना, दिनांक–10.05.2018

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10.5.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 3/निदे0(छात्रावास)विविध–66–12/18–1143 पटना, दिनांक–10.05.2018

प्रतिलिपि– सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10.5.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 3/निदे0(छात्रावास)विविध–66–12/18–1143 पटना, दिनांक–10.05.2018

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10.5.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 3/निदे0(छात्रावास)विविध–66–12/18–1143 पटना, दिनांक–10.05.2018

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/अन्य सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.5.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 3/निदे0(छात्रावास)विविध–66–12/18–1143 पटना, दिनांक–10.05.2018

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय /प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

10.5.18

सरकार के सचिव।

परिशिष्ट -1

23

विशेष सचिव

18 APR 2018

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र06/विविध–10/2018 1897 खाद्य/दिनांक 16-04-2018

प्रेषक,

भरत कुमार दुबे, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव ।

R. 1142
18/4/18

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
समाज कल्याण विभाग,
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :– Welfare Institutions and Hostels Scheme के अन्तर्गत खाद्यान्न की अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धसरकारी पत्र सं0– 9-5/2014-BP.II दिनांक 05.09.2017 एवं अवर सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पत्रांक 9-5/2014-BP.II दिनांक 01.09.2017 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि Welfare Institutions and Hostels Scheme को कार्यान्वियत करने की स्वीकृति अपने विभाग से करते हुए इसके अन्तर्गत खाद्यान्न की आवश्यकता की अधियाचना विहित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि भारत सरकार से खाद्यान्न की अधियाचना की जा सके । उल्लेखनीय है कि इस हेतु हथालन एवं परिवहन का कार्य बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को डोर स्टेप डिलेवरी योजना–2016 के अनुरूप देय होगा।

विश्वासभाजन,
Dubey 16/4/18
सरकार के अपर सचिव ।

अनु0–यथोक्त।

ज्ञापांक– प्र06/विविध–10/2018 1897 खाद्य/दिनांक 16-04-2018
प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Dubey 16/4/18
सरकार के अपर सचिव ।

D:\Year-2017\\-SECTION-06\\Viridh Avl.doc

PRAMOD KUMAR TIWARI, I.A.S.
Joint Secretary (BP & PD)
Tel.No. 011-23384308
E-mail ID – jspd.fpd@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,
FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI-110001

D.O. No.9-5/2014-BP.II

Dated – September 5, 2017

Dear Sir / Madam,

As you are aware, Department of Food & Public Distribution allocates foodgrains under the "Welfare Institutions Scheme" and SC/ST/OBC Hostels Scheme to the States/UTs. To streamline the allocation of foodgrains under Welfare Institutions and SC/ST/OBC Hostels Schemes and to bring transparency in distribution and monitoring, it has now been decided to club these two schemes into a single scheme called "Welfare Institutions and Hostels Scheme".

2. A copy of revised scheme is forwarded herewith with the request that the State Governments/UT Administrations should send their proposal for allocation of foodgrain as per the revised scheme for the second half of 2017-18 (October 2017 to March 2018) onwards.

3. It may be reiterated that under the revised scheme, it is mandatory for the States/UTs to furnish the details of the Institutions/Hostels/beneficiaries to this Department and also post the same on the portal of the respective State/UT.

4. Department of Food & Public Distribution would like to seek cooperation of all States/UTs in implementation of the scheme in letter and spirit.

With regards,

Yours Sincerely,

(Pramod Kumar Tiwari)

Principal Secretary/Food Secretary,
All State Governments / UT Administrations

No.9-5/2014-BP-II
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

Krishi Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi – 110 001
Dated – September 1, 2017

Subject: **Allocation of foodgrains under Welfare Institutions and Hostels Scheme**

With a view to meeting the requirement of Welfare Institutions viz. Charitable Institutions such as beggar homes, nari-niketans and other similar welfare institutions, sponsored by State Governments/Union Territory Administrations, that are not covered under TPDS or under any other Welfare Scheme, additional allocation of foodgrains (rice and wheat) is made to States/UTs. Similarly, the scheme for allocation of foodgrain at subsidized rates to the residents of SC/ST/OBC Hostels, whether public or private including residential schools for them, was introduced primarily to ensure adequate standards of nutrition in institutions meant for the welfare and development of weaker sections of the society. The allocation of foodgrain to the hostels are made subject to the condition that 2/3rd of the inmates should belong to the SC/ST/OBC community.

2. Allocation of foodgrain under these schemes is made by the Department of Food & Public Distribution on the basis of the requests received from the States/UTs and subject to submission of Utilization Certificates of the past years. However, detailed norms and criteria for the allocation of foodgrains are not in place. States/UTs do not furnish details of the institutions like criteria for their selection, inmate strength therein etc. and in the absence of the requirement of their proposals to be routed through any Central Ministry, the Department of Food & Public Distribution has no source of information on the monitoring and utilization of the allocations made.

3. In order to ensure that the allocation of foodgrain under these schemes is as per the defined parameters and in a transparent manner so that only genuine institutions/beneficiaries can avail the benefit of the scheme, there is an urgent need to revisit the existing policies. In view of this, it has been decided that:

(i) Both the schemes i.e. Welfare Institutions Scheme and SC/ST/OBC Hostels Scheme be clubbed together into a single scheme i.e. Welfare Institutions & Hostels Scheme.

(ii) The criteria of eligibility of the Institutions shall be decided by the States/UTs themselves and notified prominently on their respective websites.

(iii) The categories to be included under the scheme and eligibility criteria for inclusion of the beneficiaries in the scheme should be decided by the State Governments/UT Administration and also be notified prominently on the website of the concerned State Government/UT Administration.

(iv) The Institutions/Hostels that are allocated subsidized foodgrains should be registered with the concerned State Government/UT Administration.

(v) The State Governments/UT Administrations will also be required to display prominently the list of identified eligible institutions/hostels on their respective portals as is done in the case of NFSA beneficiaries.

(vi) The list of institutions should include Registration Number, complete address, telephone no., e-mail ID, capacity of the institution, strength of the institution on the day of reporting (to be reviewed periodically), date on which it came into existence. The proforma is attached at Annexure-I.

(vii) Allocation of foodgrains will be made to the SC/ST/OBC Hostels in which atleast 2/3rd of the residents/students belong to SC/ST/OBC community. However, all the resident

students, including those who belong to other categories will be entitled to receive the foodgrains.

(viii) The scale of issue of wheat and rice (to be decided on the basis of food habits in different areas) will be as per the nutrition requirements of the residents, subject to a maximum of 15 kg per resident per month. State Government/UT Administration shall clearly provide the reasons for proposing the foodgrain mix and nutritional requirement.

(ix) The Central Issue Price for allocation of foodgrain under the proposed scheme will be at BPL rates in force for the period of allocation.

(x) 5% of the erstwhile annual BPL allocation under erstwhile TPDS shall be available for allocation under the scheme *(Annexure-II)*. This limit will be computed at the national level and a State in need of allocation higher than 5% of the erstwhile annual BPL allocation under erstwhile TPDS may be allowed that as long as the ceiling of 5% at the national level is not exceeded. This will help the States/UTs having larger number of eligible institutions.

(xi) The periodicity of supply of foodgrains to States/UTs under this scheme will be bi-annual. Every year in the month of February and August, the respective State Government/UT Administration will intimate to the Department of Food & Public Distribution their requirement of foodgrains in advance for the next half of the respective year i.e. April-September and October-March.

(xii) A proposal for enhancement of allocation under the proposed combined scheme will be further subject to the condition that the average annual offtake of three years preceding the introduction of the scheme was more than 90%.

(xiii) Revalidation of lapsed quantity of foodgrains will not be entertained except in rare and exceptional cases and subject to valid justification.

(xiv) Utilization Certificates in the prescribed form GFR-12-C (GFR 2017) *(Annexure-III)* in respect of foodgrains utilized by the State/UT for the corresponding previous half year must be displayed on the web portal of the respective State/UT, failing which no foodgrain allocation will be made for the corresponding intended half year under this scheme.

(xv) There should be regular periodical audit of the Scheme at State/UT level and the State Government/UT Administration must submit this Audit Report for the period it was completed along with the Utilization Certificates.

(xvi) Detailed modalities adopted by the State Government/UT Administration for the implementation of the scheme should also be intimated to Department of Food & Public Distribution.

(xvii) The States/UTs may give wide publicity to the scheme in their respective State/UT so that the benefits accrue to all the eligible beneficiaries.

4. This issues with the approval of Union Minister for Consumer Affairs, Food & Public Distribution.

Yours faithfully,

(Asit Haldar)
Under Secretary to the Government of India
Tel.No.23382504

To

Principal Secretaries/Food Secretaries
All State Governments / Union Territory Administrations

Annex

ALLOCATION OF FOODGRAINS UNDER WELFARE INSTITUTIONS AND HOSTELS SCHEME

(Note : The information must be posted on State Food Department portal as well)

Name of the State/UT..... Period for which allocation of foodgrain is sought.....

Web link (to locate this information on the State Food Department portal) .....

Sl.No.	Name of the Institution & Address	Contact Details & E-mail ID	Year of Establishment of the Institution/ Hostel	No. of Inmates			Nature of management (Govt. run/ aided or Private	Whether any UC pending for past allocation? If so, reasons thereof.
				Total Capacity	Present Strength	In case of Hostel, no. of SC/ST/OBC Students		

118

Annexure-II

S No	STATE/UT	5 % of BPL + AAY Allocation (Qty MT)
1	ANDHRA PRADESH	49757.400
2	ARUNACHAL PRADESH	2074.800
3	ASSAM	38545.800
4	BIHAR	136989.600
5	CHHATTISGARH	39381.000
6	DELHI	8589.000
7	GOA	582.000
8	GUJARAT	44522.400
9	HARYANA	16569.600
10	HIMACHAL PRADESH	10794.000
11	JAMMU & KASHMIR	15454.200
12	JHARKHAND	50274.600
13	KARNATAKA	65713.800
14	KERALA	32630.400
15	MADHYA PRADESH	86623.800
16	MAHARASHTRA	137215.200
17	MANIPUR	3486.600
18	MEGHALAYA	3843.000
19	MIZORAM	1428.000
20	NAGALAND	2604.000
21	ORISSA	84852.600
22	PUNJAB	9826.800
23	RAJASTHAN	51051.000
24	SIKKIM	912.000
25	TAMIL NADU	102118.800
26	TELANGANA	35561.400
27	TRIPURA	6195.000
28	UTTARAKHAND	10458.600
29	UTTAR PRADESH	224259.000
30	WEST BENGAL	108763.200
31	A & N ISLANDS	283.200
32	CHANDIGARH	219.000
33	D & N HAVELI	361.200
34	DAMAN & DIU	84.000
35	LAKSHADWEEP	63.000
36	PUDDUCHERRY	1755.600
	Total	**1383843.60**

Annexure-III

Format for furnishing bi annual Utilization Certificate on distribution of foodgrains allocated by the Government of India from Central Pool for the period ending 31st March and 30th September, every year

UTILIZATION CERTIFICATE

This is to certify that during the (halfyear), (quantity) tons of foodgrains was allocated by. Government of India for distribution under Welfare Institution and Hostels Scheme and the same distributed to the beneficiaries as follows:-

(Figures in tons)

Commodity	Allotment made by the Government of India	Quantity lifted by the State Govt.	Unlifted Quantity out of the allotted quantity (col.2-col.3)	Quantity distributed	Balance quantity out of the lifted quantity (col.3-col. 5)	Reasons for unlifted/ undistributed quantity if any
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Rice						
Wheat						
Total						

Signature _____

Name of the officer _____

[to be signed by Secretary (Food) of the State / UT]

Date _____

Place _____

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

परिशिष्ट -2

संकल्प

विषय :– डोर स्टेप डिलेवरी योजना–2016 के अन्तर्गत बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को अन्तर राज्यीय संचलन, उठाई–धराई इत्यादि में राज्यांश मद में भुगतान की जाने वाली दर में संशोधन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 के अवशेष माह जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 तक संशोधित दर 121.40 रूपये प्रति क्वींटल की दर से कुल 50022 लाख रूपये (पाँच अरब बाईस लाख) व्यय की स्वीकृति ।

राज्य में 01 फरवरी, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी एवं अन्त्योदय श्रेणी के कुल आच्छादित 8,57,12,067 लाभुकों को भारत सरकार द्वारा आवंटित 457321.725 मे0टन खाद्यान्न के मासिक आवंटन को उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार द्वारा आवंटित उक्त खाद्यान्न को डोर स्टेप डिलेवरी योजना 2016 के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपो से राज्य खाद्य निगम के गोदामों तक एवं राज्य खाद्य निगम के गोदामों से जन वितरण प्रणाली दुकानों तक शतप्रतिशत जी0पी0एस0 एवं लोड सेल वाहनों से खाद्यान्न पहुँचाया जा रहा है।

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में भारत सरकार द्वारा "खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम 2015" के आलोक में अन्तर राज्यीय संचलन, उठाई–धराई और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन पर केन्द्रांश प्राप्त होने एवं डीलर मार्जिन में की गई बढ़ोतरी के आलोक में पूर्व से चालू योजना को संशोधित करते हुए डोर स्टेप डिलेवरी योजना–2016, दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत अन्तर राज्यीय संचलन, उठाई–धराई इत्यादि हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को कुल 179.04 रू0 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाता है, जिसमें से केन्द्रीय सहायता (केन्द्रांश) एवं राज्यांश मद में निर्धारित दर क्रमशः 67.50 रूपये प्रति क्वींटल एवं 111.54 रूपये प्रति क्वींटल है ।

3. भारत सरकार द्वारा वस्तु सेवा कर (जी0एस0टी0) दिनांक 01.07.2017 के प्रभाव से लागु किये जाने के कारण एंव अन्य मदों के व्यय में वृद्धि के आलोक में खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम 2015 के आलोक में आवंटित खाद्यान्न के वितरण के लिए अन्तर राज्यीय संचलन, उठाई–धराई इत्यादि का संशोधित दर निर्धारण करने हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0 के पत्रांक– 8504 दिनांक– 24.08.2017 के द्वारा अनुरोध किया गया है, जो कि निम्नवत् है ।

अन्तर राज्यीय संचलन, उठाई–धराई इत्यादि में दर निर्धारण करने हेतु संशोधित प्रस्ताव			
क्र0	मद	पूर्व से स्वीकृत राशि	स्वीकृति हेतु संशोधित प्रस्ताव
1	परिवहन एवं हथालन (भारतीय खाद्य निगम के नामित गोदाम से	44.30	44.30
2	डीलर कमीशन	35.00	35.00
3	स्थापना	15.54	15.54
4	भण्डारण	4.29	11.85
5	आकस्मिकता	2.00	4.00
6	हथालन	0.00	10.71
7	वैट	10.41	0.00
	कुल योग :–	111.54	121.40

4. खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम–2015 के अन्तर्गत आवंदित खाद्यान्न के वितरण के लिए खाद्यान्नों के अन्तर राज्यीय संचलन, उठाई–धराई और उचित दर दूकानों के डीलरों को संदत मार्जिन पर उनके द्वारा उपगत व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता और केन्द्रीय सरकार का अंश निम्नवत् निर्धारित है:–

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रवर्ग	व्यय के सन्नियम (दर रूपये प्रति क्विंटल)			केन्द्रीय अंश (प्रतिशत में)
	अन्तर–राज्यीय संचालन और उठाई–धराई	उचित दर दुकानों के डीलर का मार्जिन		
		मूल	पॉईट ऑफ सेल यंत्र के माध्यम से विक्रय के लिए अतिरिक्त मार्जिन मनी	
सामान्य	65	70	17	50

राज्य में FPS Automation योजना के लागू होने के पश्चात् खाद्यान्न का वितरण पॉईट ऑफ सेल यंत्र के माध्यम से करने पर अतिरिक्त मार्जिन मनी 17/– रू0 प्रति क्वींटल का भुगतान किया जाएगा जिसमे केन्द्रांश की राशि 50 प्रतिशत होगी ।

उपरोक्त कंडिका में वर्णित खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम 2015 के तहत भारत सरकार के द्वारा तय किये गये दर एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा मांगी गयी दर के आलोक में उक्त दोनों योजनाओं को एकीकृत करते हुए भारतीय खाद्य निगम से जन वितरण प्रणाली दुकानों तक डोर स्टेप डिलेवरी योजना–2016 के अन्तर्गत संशोधित दर निम्नवत् होगी :–

(दर– रू0 प्रति क्वींटल में)

क्र0	विवरणी	संशोधित व्यय की राशि	केन्द्राश तथा राज्यांश मद की संशोधित राशि	
			केन्द्रीय सहायता (केन्दांश)	राज्यांश मद की संशोधित राशि
1	(क) परिवहन एवं हथालन * (भारतीय खाद्य निगम के नामित गोदाम से)	87.51	32.50	55.01
2.	डीलर कमीशन	70.00	35.00	35.00
3.	स्थापना	15.54	शून्य	15.54
4.	भंडारण	11.85	शून्य	11.85
5.	आकस्मिकता	4.00	शून्य	4.00
	कुल :–	188.90	67.50	121.40

डोर स्टेप डिलेवरी योजना–2016 में निर्धारित दर के संशोधनोपरांत राज्यांश मद में 121.40 रूपया प्रति क्वींटल की दर से वित्तीय वर्ष 2017–18 के माह जुलाई, 2017 से मार्च, 2017 तक कुल 9 माह हेतु भारत सरकार से प्राप्त मासिक आवंटन 4578217.25 क्वींटल खाद्यान्न को डोर स्टेप डिलेवरी योजनान्तर्गत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को उपलब्ध कराने के विरूद्ध राज्यांश मद में 4578217.25 क्वींटल × 121.40 × 9 = 5002160167 रूपये) अर्थात 50022 लाख (पॉच अरब बाईस लाख) रूपये व्यय की संभावना है।

5. डोर स्टेप डिलेवरी योजना–2016 के अन्तर्गत बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को अन्तर राज्यीय संचलन, उठाई–धराई इत्यादि में राज्यांश मद में भुगतान की जाने वाली दर में संशोधन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 के अवशेष माह जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 तक संशोधित दर 121.40 रूपये प्रति क्वींटल की दर से कुल 50022 लाख रूपये (पाँच अरब बाईस लाख) व्यय की स्वीकृति प्राप्त है ।

6. डोर स्टेप डिलेवरी योजना–2016 के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपो से जन वितरण प्रणाली दुकानों तक खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं मार्जिन मनी इत्यादि तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय कमीशन मद में भुगतान की जाने वाली राज्यांश मद की राशि का व्यय क्रमशः मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 सिविल पूर्ति योजना मांग संख्या–18, उपशीर्ष 0306 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0–18-3456001020306 विषय शीर्ष 0306.33.01 सब्सिडी, मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–18, उपशीर्ष 0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0–18-3456007890302, विषय शीर्ष 0302.33.01 सब्सिडी एवं मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–18, उपशीर्ष 0302– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0–18-3456007960302 विषय शीर्ष 0302.33.01 सब्सिडी में बजट उपबंध की राशि से किया जाएगा।

डोर स्टेप डिलेवरी योजना, 2016 के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता (केन्द्रांश) मद में निर्धारित दर के अनुसार किये जाने वाले भुगतान का व्यय मुख्यशीर्ष–2408–खाद्य, भंडारण तथा भांडागार, उप मुख्यशीर्ष––01–खाद्य, लघुशीर्ष–101–प्रापण तथा पूर्ति, समूह शीर्ष–केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अन्तर्गत उपशीर्ष–0405–एन0एफ0एस0ए0 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि से किया जाएगा।

7. मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 19.12.2017 को मद संख्या–20 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। संचिका संख्या–प्र06–डो0स्टे0डि0–01/2017/45 टि0।

8. संकल्प पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव ।

आदेश :– अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–प्र06–डो0स्टे0डि0–01/2017 07 खाद्य–पटना/दिनांक– 02·1·18

प्रतिलिपि – ई–गजट प्रभारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विषयशीर्ष की अंग्रेजी अनुवाद के साथ M.S. Word मे सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलंब प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–प्र06–डो0स्टे0डि0–01/2017 07 खाद्य–पटना/दिनांक– 02·1·18

प्रतिलिपि –महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव ।

13

ज्ञापांक–प्र06–डो0स्टे0डि0–01/2017 07 खाद्य–पटना/दिनांक– 02·1·18

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सभी विश्वविधालय के कुलपति को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलंब सूचित करा दें ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–प्र06–डो0स्टे0डि0–01/2017 07 खाद्य–पटना/दिनांक– 02·1·18

प्रतिलिपि – बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना के अध्यक्ष/सभी सदस्यों/सदस्य सचिव, बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–प्र06–डो0स्टे0डि0–01/2017 07 खाद्य–पटना/दिनांक– 02·1·18

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–प्र06–डो0स्टे0डि0–01/2017 07 खाद्य–पटना/दिनांक– 02·1·18

प्रतिलिपि – अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–05 (बजट शाखा), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–प्र06–डो0स्टे0डि0–01/2017 07 खाद्य–पटना/दिनांक– 02·1·18

प्रतिलिपि – आई0टी0 मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव ।